



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-27/2016-944 दिनांक : 24/7/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/ सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला/ गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा/

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत रंगनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन का तृतीय वर्ष के लिए कुल **रु0 26.592 लाख (छब्बीस लाख उनसठ हजार दो सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-40/2016-27/स्वी0 व0प0 दिनांक 30.07.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-40/2016-36/आ0 व0प0 दिनांक 02.05.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष- 09 "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 26.592 लाख (छब्बीस लाख उनसठ हजार दो सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102090103	14.445
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102090323	11.397
प्रशिक्षण व्यय	19S240601102090335	0.750
कुल :-		26.592

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक-1** पर वर्णित प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- 19S240601102090103, 19S240601102090323 तथा 19S240601102090335 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों/ वन संरक्षकों द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।
5. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी पत्र परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी दर में मजदूरों को भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
10. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
11. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा

14. वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की गई लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति के स्वयं सहायता समूहों द्वारा रंगीनी/कुसुमी लाह उत्पादन (तृतीय वर्ष) संबंधी निम्नलिखित सूचनाएँ संधारित कर 30 नवम्बर, 2018 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय :-

क्र० सं०	प्रमंडल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	योजना से संबंधित स्थल का नाम	स्वयं सहायता समूह से जुड़ी समिति का नाम	समूह के व्यक्ति का नाम, पता एवं मोबाइल नं० के साथ	ENRG में प्रशिक्षित व्यक्ति का नाम एवं पता / मोबाइल नं० के साथ	Community Resource Person का मोबाइल नं० के साथ	वर्ष 2018-17 एवं 2017-18 में उत्पादित लाह की मात्रा (कि०ग्र० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-27/2016-944 दिनांक-24/7/17

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ दुमका/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-27/2016-944 दिनांक-24/7/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/ सरायकेला-खरसावाँ/ गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का तृतीय वर्ष के लिए उप आवंटित प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय लक्ष्य			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
				4.815	3.799	0.250	8.864
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	125	12500	4.815	3.799	0.250	8.864
2	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	125	12500	4.815	3.799	0.250	8.864
3	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	125	12500	4.815	3.799	0.250	8.864
योग :-		375	37500	14.445	11.397	0.750	26.592

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4/यो0बजट-40/2016-27/स्वी0 व0प0 दिनांक 30.07.2016।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित कार्य दर तालिका

रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना की कार्य दर

लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार)

(रु० लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	तृतीय वर्ष 2018-19 मजदूरी प्रति मानव दिवस 237.38					अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	
1	वृक्षों का चिह्नंकन	रु० 2.85 प्रति वृक्ष		0.000	0.000	0.000	0.000	प्रति लाभुक परिवार 10 पलाश के वृक्षों का चिह्नंकन किया जाएगा जिसे 5-5 वृक्षों के दो सेट में बाँटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट-1 एवं द्वितीय वर्ष में सेट-2 के वृक्षों की कटाई-छटाई करवरी/मार्च माह में की जाएगी।
2	प्रशिक्षण							
	(क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250	
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य / प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, रौंघी में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी					0.000	
3	दूलकीट एवं अन्य सामग्री	रु० 1775/- प्रति दूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट					0.000	प्रथम वर्ष करवरी/मार्च में सेट-1 के 6250 वृक्षों की कटाई-छटाई (50 वृक्ष प्रति 10 लाभुक परिवार) एवं द्वितीय वर्ष में सेट-2 के वृक्षों की कटाई-छटाई की जाएगी।
4	वृक्षों की कटाई-छटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष					0.000	
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम से 1.00 कि०ग्रा० प्रति वृक्ष; रु० 200.00 प्रति कि०ग्रा०	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 6250 वृक्ष				0.000	बीहन लाह का क्रय निविदा के माध्यम से किया जायेगा।
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष	6250 वृक्ष	0.742			0.742	क्रय किए गए बीहन लाह से द्वितीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में बीहन लाह का संचारण सेट-1 के वृक्षों पर किया जाएगा तथा तृतीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में सेट-2 के वृक्षों पर संचारण किया जाएगा जिसके लिए सेट-1 के वृक्षों से प्राप्त बीहन लाह का उपयोग किया जाएगा।
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रु० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)	6250 वृक्ष		1.875		1.875	
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रु०					0.000	
9	फुन्की का स्कैपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष	6250 वृक्ष	0.593			0.593	
10	तकनीकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)			0.000	0.250		0.250	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक प्रति माह	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रु० प्रति माह	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड/प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)				0.500		0.500	
	कुल योग-			4.815	3.625	0.250	8.690	
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	@ 2 % of Project cost			0.174		0.174	
	सकल योग-			4.815	3.799	0.250	8.864	

विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 4/यो0ब0-40/2016- 27 दिनांक 30.07.2016

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।



आवृत्त आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नलिखित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-27/2016/944

दिनांक - 25-Jul-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्त राशि
1	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	42974	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	481,500.00 रुपये चार लाख इक्क्यासी हजार पैंच सौ
2	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	42976	SKLFOR001 SABA ALAM ANSARI D.F.O. SEWIKELLA-KHARSA	481,500.00 रुपये चार लाख इक्क्यासी हजार पैंच सौ
3	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	42978	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	481,500.00 रुपये चार लाख इक्क्यासी हजार पैंच सौ

1,444,500.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये चौदह लाख चवालीस हजार पैंच सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DADARHAT, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवहन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	42983	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	379,900.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार नौ सौ
5	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	42985	SKLFOR001 SABA ALAM ANSARI D.F.O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	379,900.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार नौ सौ
6	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	42986	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	379,900.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार नौ सौ

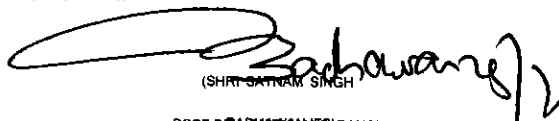
योग:

1,139,700.00

क्रमिक योग:

रुपये पच्चीस लाख चौरासी हजार दो सौ

2,584,200.00



(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. B. (M. & S.) RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601102090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme	42989	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601102090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme	42990	SKLFOR001 SABA ALAM ANSARI D.F.O. SERAIKELLA-KHARSA WA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
9	S 19 240601102090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme	42991	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			

योग:

75,000.00

क्रमिक योग:

रुपये छब्बीस लाख उनसठ हजार दो सौ

2,659,200.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DADAR (MANS) RANCHI